29/01/16

[illegible] आदेश पेश हुई। वहीं पर मनन
किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख
का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा
अपनी जाति धानुक, धाकड़ (पुराने जा.नं. 18)
को खोरेवाली (गोदावरिया) के अंतर्गत अपना
जाति प्रमाण पत्र बना व 17 पेश किया
है। वर्तमान के खोरेवाली अनुसूचित जाति
जनजाति के नाम से है जिसके खोरेवाली
सामान्य वर्ग के नियमान्तर्गत नहीं है। उक्त
है अतिरिक्त प्रार्थी महोदया कागजात व अभिलेख
का संकलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं
है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को
नहीं हो रही है। सामान्य जाति के कारण
अनुसूचित के खोरेवाली के आगे के
कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अतः
प्रार्थी का अकेला हस्ताक्षर जाति के
जाने के अधीन पेश जाते है। प्रकरण
पुनर्विचार होकर नये से कार्य हो।
मूल पत्रावली के फैसला हो।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़

Scanned with CamScanner